प्रभुनारायण बनाम सरकार

32/2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	28/2/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/3/24 को पेश हों।
	14/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/4/24 को पेश हों।
	18/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/5/24 को पेश हों।
	24/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप० पत्रावली [illegible] प्रार्थना पत्र 136 [illegible] पत्रावली [illegible] है प्रार्थना पत्र 136 स्वीकार [illegible] निश्चित [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] किया गया [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तार हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 32/2023
निर्णय दिनांक : 24.04.2024

1. प्रभुनारायण पुत्र स्व. श्री चौथू उर्फ चौथमल शर्मा आयु 64 साल निवासी– ग्राम हरध्यानपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये– तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एक अनपढ एवं वृद्ध व्यक्ति है प्रार्थी की शामलाती खातेदारी भूमि ग्राम हरध्यानपुरा, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित है जिसका नया खाता संख्या 46 के हाल खसरा नंबर 619/299 रकबा 0.35 हैक्ट.हिस्सा 1/8 एवं नया खाता संख्या 20 खसरा नंबर 38,39,40,47,48,266, 267,273,274,280,285,287,297 कुल किता 13 कुल रकबा 4.54 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारी भूमि में हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तथा प्रार्थी अपनी उपरोक्त शामलाती खातेदारी भूमि में बतौर खातेदार काश्तकार काबिज एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी एक अनपढ व्यक्ति है तथा मात्र हस्ताक्षर करना जानता है। तथा प्रार्थी के हाल खाता संख्या 46 के हाल खसरा नंबर 619/299 रकबा 0.35 हैक्टयर भी का राजस्व रिकॉर्ड को कभी न तो देखा और ना ही चैक किया ओर ना ही किसी राजस्व कर्मचारी पटवारी, गिरदावर आदि के द्वारा प्रार्थी को अपने नाम प्रभुनारायण की जगह पर प्रभुदयाल का गलत रूप से इन्द्राज होने के बारे में बताया गया। जबकि प्रार्थी का नाम प्रभुनारायण है। तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों एवं अन्य खातेदारी भूमि के खाता संख्या 20 की भूमि आदि में भी प्रभुनारायण पुत्र चौथू का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। प्रार्थी प्रभुनारायण पुत्र चौथू का खाता संख्या 46 की खातेदारी भूमि में लिपिकिय त्रुटि भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड में प्रभुनारायण पुत्र चौथू की जगह गलत नाम प्रभुदयाल पुत्र चौथ राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी आदि में अंकित कर दिया जो कि एक लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है। जो कि श्रीमान न्यायालय के द्वारा दुरस्थ

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

किये जाने योग्य है। प्रार्थी प्रभुनारायण का नाम खाता संख्या 46 के खसरा नंबर 619/299 रकबा 0.35 हैक्टयर भूमि में गलत नाम प्रभुदयाल पुत्र चौथ दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का सभी सरकारी दस्तावेजों में भी प्रभुनारायण नाम अंकन है। इसप्रकार प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम प्रभुनारायण शर्मा पुत्र चौथू अंकन करवाने का कानूनी रूप से अधिकारी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में गलत नाम प्रभुदयाल दर्ज होने से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ एवं सहायता नही ले पा रहा है। जबकि सरकार के द्वारा किसानों के हित में अच्छी अच्छी योजनाएं लागू कर रखी है। जिसका कि प्रार्थी प्रभुनारायण शर्मा पुत्र चौथू का अपनी खातेदारी भूमि में गलत नाम प्रभुदयाल दर्ज होने के कारण लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी का परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी प्रभुनारायण का अपनी खाता संख्या 46 की खातेदारी भूमि में प्रभुदयाल पुत्र चौथमल को हजफ किया जाकर प्रार्थी का नाम प्रभुनारायण पुत्र चौथू दर्ज नही किया गया तो प्रार्थी के साथ भयकर कुठाराघात होगा तथा प्रार्थी तथा प्रार्थी एवं उसके परिवार का जीवन में काफी भयकर कठिनाईयां पैदा हो जाएगी तथा प्रार्थी का जीवन अंधकार मय हो जाएगा। ओर राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम की आड़ में अन्य फर्जी व्यक्ति एवं भू–माफिया गिरोह गलत फायदा उठा सकते है तथा प्रार्थी को काफी गंभीर क्षति पहुंचा सकते है। इसप्रकार प्रार्थी प्रभुनारायण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्थ नही किया गया तो प्रार्थी का ऐसी अपूर्तिनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी तरह संभव नही होगा। राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी का नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त शामलाती खातेदारी भूमि में प्रभुनारायण पुत्र चौथू की जगह प्रभुदयाल पुत्र चौथमल करने अवैधानिक कृत्य किया है राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारीयों को प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम प्रभुनारायण पुत्र चौथू की जगह गलत नाम प्रभुदयाल पुत्र चौथू करने का अधिकार नही है। राजस्व कर्मचारियों का उक्त कृत्य क्षेत्राधिकार विहीन कार्य है। जो कि प्रारम्भ से ही एब इनिश्यों नल एण्ड वोईड है। जो कि काबिले दुरस्ती योग्य है। प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में गलती एवं त्रुटि का ज्ञान तब हुआ जब प्रार्थी के पुत्र के द्वारा सरकारी योजनाओं के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थी की जमाबंदी देखने से ज्ञात होने पर पता चला। प्रार्थी के नाम की शुद्धि करवाने के लिये प्रार्थी एवं उसके पुत्र ने हल्का पटवारी से पूछताछ की गई तो पटवारी ने उक्त क्लेरीकल टाईपिंग त्रुटि एवं गलती होने की पुष्टि की जो कि दुरस्थ किये जाने योग्य माना है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्थ किये जाने से किसी भी पक्षकार को किसी प्रकार की हानि एवं परेशानी नही होगी ना ही किसी पक्षकार के कोई हिस्से आदि में किसी प्रकार की कमी–बेशी नही होगी वरन् प्रार्थी का सही नाम दुरस्थ

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

करने से प्रार्थी के पुत्रों के नामातंरण आदि की परेशानीयों से निजात मिलगी। तथा मुकदमें बाजी आदि कार्यवाहीयों से बचाव होगा। प्रार्थी के नाम राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा गलत अंकित करने की उक्त गलती क्लेरीकल तथा अर्थमैटिकल मिस्टेक की तारीफ में आती है। जिसकों दुरूस्त करने का श्रीमान न्यायालय को अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की भूमियों में नाम दुरस्थ करने का श्रीमान न्यायालय को अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी की ओर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ग्राम हरध्यानपुरा, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 46 की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 619/299 के रकबा 0.35 हैक्टयर भूमि हिस्सा 1/8 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि में प्रार्थी का गलत नाम प्रभुदयाल की जगह नाम प्रभुनारायण पुत्र चौथू दर्ज कर जोड़ा जावे। ऐसा करने के लिये अप्रार्थी तहसीलदार, सांगानेर को निर्देशित एवं आदेशित किया तथा अन्य सहायता जो न्यायालय प्रार्थी के हक में उचित समझे दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को नोटिस जारी किये गए। तहसीलदार सांगानेर की ओर से पत्रावली में जवाब पेश किया गया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। तहसील सांगानेर की मुतामिक रिपोर्ट प्रार्थी के पिता चोथू पुत्र लक्ष्मीनारायण के विरासत नामान्तकरण संख्या 204 संख्या दिनांक 24.05.2019 में प्रार्थी का नाम प्रभूनारायण पुत्र चोथू स्वीकृत हुआ था जो कि बरबक्त जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में सहवन से प्रभूदयाल पुत्र चोथमल दर्ज हो गया था।

प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ग्राम हरध्यानपुरा, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 46 की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 619/299 के रकबा 0.35 हैक्टयर भूमि हिस्सा 1/8 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि में प्रार्थी का गलत नाम प्रभुदयाल की जगह नाम प्रभुनारायण पुत्र चौथू दर्ज कर जोड़ा जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सांगानेर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी के पिता चोथू पुत्र लक्ष्मीनारायण के विरासत नामान्तकरण संख्या 204 संख्या दिनांक 24.05.2019 में प्रार्थी का नाम प्रभूनारायण पुत्र चोथू स्वीकृत हुआ था जो

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कि बरबक्त जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में सहवन से प्रभूदयाल पुत्र चौथमल दर्ज हो गया था।

अतः तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम हरध्यानपुरा, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 46 की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 619/299 के रकबा 0.35 हैक्टयर भूमि हिस्सा 1/8 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि में प्रार्थी का गलत नाम प्रभुदयाल की जगह सही नाम प्रभुनारायण पुत्र चौथू राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर